"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मई 2009—वैशाख 28, शक 1931

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2009

अधिसूचना

क्रमांक/128/वित्त/नियम/चार/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद् द्वारा निम्न नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम प्रारंभ और विस्तार—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 है ।

(2) ये नियम 1 जनवरी 2006 को प्रवृत्त हुए समझे जायेगें ।

(3) ये नियम कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के उन समस्त सदस्यों पर लागू होंगे, जो विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं ।

2. **परिभाषाएं** :— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) "विद्यमान मूल वेतन" से आशय उस वेतन से होगा जो निर्धारित विद्यमान वेतनमान में आहरित किया जाता है, परन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसे किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है ।

(2) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में "विद्यमान वेतनमान" से तात्पर्य उस वर्तमान वेतनमान से है, जो सेवा के सदस्य द्वारा 01 जनवरी 2006 को धारित पद पर लागू हो ।

(3) "विद्यमान परिलब्धियों" से आशय है एवं इसमें शामिल है :–

(क) दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक –

(i) विद्यमान मूल वेतन, तथा

(ii) मूल वेतन पर उपयुक्त मंहगाई भत्ता

(ख) दिनांक 01 अप्रैल 2007 से–

(i) विद्यमान मूल वेतन,

(ii) मूल वेतन पर 50 प्रतिशत मंहगाई वेतन, तथा

(iii) मूल वेतन एवं मंहगाई वेतन के योग पर 24 प्रतिशत मंहगाई भत्ता ।

(4) अनुसूची–एक के कॉलम दो में उल्लेखित किसी भी पद/ग्रेड के संबंध में विद्यमान वेतनमान से आशय उस वेतनमान से है जिसका उल्लेख उस पद के समक्ष कॉलम 3 में किया गया है ।

(5) "वेतन बैंड में वेतन" का तात्पर्य है अनुसूची–एक के कॉलम 5 में दिये गये रनिंग वेतन बैंडों में आहरित वेतन ।

(6) "ग्रेड वेतन" से आशय है विद्यमान वेतनमानों/पदों के तत्स्थानी अनुसूची–एक के कॉलम–6 में निर्धारित नियत राशि ।

(7) अनुसूची–एक के कॉलम दो में उल्लेखित किसी भी पद के संबंध में "पुनरीक्षित वेतन संरचना" का तात्पर्य उस वेतनमान या पद के समक्ष उसके कालम 5 तथा 6 में उल्लेखित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन से है ।

(8) पुनरीक्षित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से तात्पर्य निर्धारित वेतन बैंड+ लागू ग्रेड वेतन पर आहरित वेतन से है परन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है ।

(9) "पुनरीक्षित परिलब्धियों" का तात्पर्य है सेवा के सदस्य का उसके वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन का योग ।

(10) "सेवा" से अभिप्रेत है, कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा,

(11) "सेवा का सदस्य" से अभिप्रेत है कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा का सदस्य, जो विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित कर रहा हो,

(12) "अनुसूची" का तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है ।

3. **पदों का वेतनमान–** अनुसूची–एक के कॉलम दो में उल्लेखित प्रत्येक पद/ग्रेड के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन वह होगा जिसका उल्लेख उसके सामने कालम 5 तथा 6 में किया किया गया है ।

4. **पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का आहरण–** कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा का प्रत्येक सदस्य उसकी नियुक्ति के पद पर लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करेगा ।

परन्तु सेवा का कोई सदस्य विद्यमान वेतनमान में उसकी आगामी या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उस पद को रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण बंद करने तक विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित करने का चयन कर सकता है ।

परन्तु यह भी है कि ऐसे मामलों में जहां सेवा के सदस्य को दिनांक 01 जनवरी, 2006 तथा इन नियमों के अधिसूचना की तिथि के बीच पदोन्नति अथवा वेतनमान के स्तरोन्नयन के फलस्वरूप उच्चतर वेतनमान में रखा गया है, वह ऐसी पदोन्नति, वेतनमान के स्तरोन्नयन आदि की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में आने का विकल्प चुन सकता है ।

स्पष्टीकरण :–

(1) इस नियम के परन्तुक के अधीन विद्यमान वेतनमान प्रतिधारित करने का विकल्प केवल एक ही विद्यमान वेतनमान के संबंध में अनज्ञेय होगा ।

(2) उपर्युक्त विकल्प, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में अनुज्ञेय नहीं होगा जो 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात् चाहे सेवा में प्रथम बार या किसी अन्य पद से स्थानांतरण द्वारा, नियुक्त किया गया है, उसे केवल पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन अनुज्ञेय होगा ।

5. **विकल्प का प्रयोग :–**

(1) नियम 5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग इन नियमों के अनुसूची–तीन के साथ संलग्न प्रारूप में, लिखित में इस तरह किया जाएगा कि इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर या जहां विद्यमान वेतनमान इस तारीख के पश्चात् किये गये किसी आदेश द्वारा पुनरीक्षित किया गया हो, वहां ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के भीतर उपनियम (2) में उल्लेखित प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए ।

परन्तु :–

(क) सेवा के किसी ऐसे सदस्य के मामले में, जो यथास्थिति, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख या ऐसे आदेश की तारीख पर अवकाश में हो या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति में हो, उक्त विकल्प का प्रयोग इस प्रकार से कर सकेगा कि राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन मास के भीतर संबंधित प्राधिकारी को लिखित में प्राप्त हो जाए;

(ख) जहां सेवा का कोई सदस्य 01 जनवरी, 2006 को निलंबन में हो, वहां विकल्प का प्रयोग उसके कर्तव्य पर वापसी की तारीख से तीन माह के भीतर किया जा सकेगा यदि वह तारीख उस तारीख के बाद की हो जो इस उपनियम में विहित की गई है; तथा

(ग) सेवा के ऐसे सदस्य जो 01 जनवरी, 2006 के पश्चात् और इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हुए है, भी इस नियम के अधीन विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे ।

(2) विकल्प सेवा के सदस्य द्वारा उसके कार्यालय प्रमुख को संसूचित किया जायेगा

(3) अगर सेवा के सदस्य का लिखित विकल्प उप–नियम 1 के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर प्राप्त नहीं हो तो यह मान लिया जाएगा कि उसने दिनांक 01 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है ।

(4) एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा । विकल्प में कांट–छांट या उपरिलेखन स्वीकार्य नहीं होगा ।

टिप्पणी 1 – वे व्यक्ति जिनकी सेवायें 01 जनवरी 2006 को या उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई है और जो विहित की गई समय सीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग, स्वीकृत पदों की समाप्ति पर सेवोन्मुक्त कर दिये जाने, पद त्याग, पदच्युति अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति होने के कारण नहीं कर सके थे, इस नियम का लाभ उठाने के हकदार है ।

टिप्पणी 2 – ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु 01 जनवरी 2006 को या उसके पश्चात् हो गई हो तथा जिनके द्वारा निर्धारित समयावधि में विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा सका हो, के संबंध में, यदि पुनरीक्षित वेतन संरचना अधिक अनुकूल है, यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना के लिये विकल्प का प्रयोग 01 जनवरी 2006 से या उसके पश्चातवर्ती किसी तिथि से, यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा अधिक लाभप्रद समझा जाये, किया गया है, और तद्नुसार उसका वेतन नियत किया जायेगा ।

6. **पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण :–**

(1) सेवा के ऐसे सदस्य का, जो दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता है या जिसके बारे में नियम 6 के उप नियम (3) के अंतर्गत यह समझा जाता है कि उसने दिनांक 01 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन कर लिया है, उस दशा के सिवाय, जहां राज्य सरकार विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दें, प्रारंभिक वेतन का नियतन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा, अर्थात् :–

(एक) वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण दिनांक 01 जनवरी 2006 की स्थिति में विद्यमान मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को 10 के आगामी गुणक में पूर्णांकित कर किया जायेगा,

(दो) यदि पुनरीक्षित वेतन बैंड का न्यूनतम उपर्युक्त (एक) के अनुसार परिगणित राशि से अधिक है तो वेतन, पुनरीक्षित वेतन बैंड के न्यूनतम पर नियत किया जायेगा,

परन्तु यह भी है कि :—

वेतन निर्धारण में, जहां किसी विद्यमान वेतनमान में दो या दो से अधिक लगातार प्रक्रमों पर वेतन आहरित करने वाले सेवा के सदस्यों के वेतन का समूहीकरण हो जाता है अर्थात, पुनरीक्षित वेतन बैंड में एक ही प्रक्रम में वेतन निर्धारित होता है, तो इस प्रकार से समूहीकृत प्रत्येक दो प्रक्रमों के लिये एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा जिससे कि पुनरीक्षित रनिंग वेतन बैंडों में दो से अधिक प्रक्रमों का समूहीकरण न हो । इस प्रयोजन के लिये. वेतनवृद्धि की गणना "वेतन बैंड" में वेतन पर की जाएगी । समूहीकरण को कम करने के उद्देश्य से स्वीकृत ऐसी वेतनवृद्धि परिगणित करने हेतु ग्रेड वेतन को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा ।

उपर्युक्त ढंग से वेतन में वृद्धि किये जाने से यदि किसी सेवा के सदस्य का वेतन पुनरीक्षित वेतन बैंड में किसी ऐसे प्रक्रम पर निर्धारित होता है जो उसी विद्यमान वेतनमान में किसी आगामी उच्च प्रक्रम या प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त कर रहे है सेवा के सदस्य से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में बाद वाले सेवा के सदस्य का वेतन उस सीमा तक बढ़ाया जायेगा जितना कि पहले वाले सेवा के सदस्य की तुलना में कम हो ।

(तीन) वेतन बैंड में वेतन उपर्युक्त तरीके से निर्धारित होगा । वेतन बैंड में वेतन के अतिरिक्त विद्यमान वेतनमान का तस्थानी ग्रेड वेतन भी देय होगा ।

टिप्पणी 1 — उपर्युक्त पर उदाहरण 1 इन नियमों में व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है ।

टिप्पणी 2 — सेवा का कोई सदस्य जो दिनांक 01 जनवरी 2006 को अवकाश पर है और उसे अवकाश वेतन की पात्रता है, दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा पुनरीक्षित वेतन संरचना में विकल्प देने की तारीख से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करने का पात्र होगा ।

टिप्पणी 3 — निलंबित सेवा का सदस्य विद्यमान वेतनमान के आधार पर निलंबन भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम आदेश के अधीन होगा ।

टिप्पणी 4 — यदि सेवा के किसी सदस्य की "विद्यमान परिलब्धियां," पुनरीक्षित परिलब्धियों से अधिक हैं, तो अंतर की राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में मान्य किया जायेगा जिसका समायोजन भविष्य की वेतनवृद्धियों में किया जाएगा ।

टिप्पणी 5 — जहां सेवा के ऐसे सदस्य का जो दिनांक 01 जनवरी 2006 से ठीक पहले उसी संवर्ग के किसी कनिष्ठ सदस्य से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तथा उप नियम (1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन बैंड में उसका वेतन ऐसे कनिष्ठ सदस्य से नीचे के स्तर पर निर्धारित हुआ हो, उसका वेतन कनिष्ठ सदस्य के समान स्तर तक बढ़ा दिया जायेगा ।

टिप्पणी 6 — जहां सेवा का कोई सदस्य दिनांक 01 जनवरी 2006 को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा है और यदि व्यक्तिगत वेतन को विद्यमान परिलब्धियों में शामिल करने से इसका योग पुनरीक्षित परिलब्धियों से अधिक होता है, तो उक्त आधिक्य के समान अन्तर की राशि उस सदस्य को व्यक्तिगत वेतन के रूप में मान्य किया जाएगा, जिसका समायोजन भविष्य की वेतनवृद्धियों में किया जाएगा।

टिप्पणी 7 — ऐसे मामलों में जहां किसी वरिष्ठ सदस्य की पदोन्नति उच्च पद पर दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व हुई है और पुनरीक्षित वेतन संरचना में अपने ऐसे कनिष्ठ से कम वेतन आहरित करता है जिसकी पदोन्नति उच्च पद पर दिनांक 01 जनवरी 2006 के बाद में हुई है, तो उस वरिष्ठ सदस्य का वेतन बैंड में वेतन में वृद्धि कर उतना कर दिया जाएगा जितना कि उससे कनिष्ठ सदस्य का उच्च पद पर निर्धारित

हुआ है । ऐसी वृद्धि सदस्यों की पदोन्नति की तिथि से निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जावेगी, अर्थात् :—

(अ) वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सदस्यों को एक ही संवर्ग का होना चाहिए तथा जिस पद पर उनकी पदोन्नति हुई है, वह पद भी एक ही संवर्ग का समान पद होना चाहिए ।

(ब) उच्च एवं निम्न पदों का विद्यमान वेतनमान तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन जिस पर वेतन आहरण की पात्रता है, समरूप होना याहिए ।

(स) वरिष्ठ सदस्य की पदोन्नति के समय वेतन, कनिष्ठ सदस्य के वेतन के बराबर अथवा उससे अधिक होना चाहिएं ।

(द) विसंगति सीधे तौर पर मूलभूत नियम 22 के प्रावधानों अथवा पुनरीक्षित वेतन संरचना में ऐसी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के विनियमन से संबंधित किसी नियम या आदेश को लागू करने के कारण होना चाहिए ।

परन्तु यदि निम्न पद पर कनिष्ठ सदस्य उसे स्वीकृत किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के फलस्वरूप वरिष्ठ सदस्य से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तो इस टिप्पणी के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ सदस्य के वेतन में वृद्धि नहीं की जावेगी ।

7. **दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके पश्चात् नवनियुक्त सेवा के सदस्यों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण :—**

इन नियमों की अनुसूची—दो वेतन बैंड में उस प्रारंभिक वेतन को दर्शाता है जिस पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके पश्चात् किसी निर्दिष्ट पद पर विशिष्ट ग्रेड वेतन पर सीधी भर्ती से नियुक्त सेवा के सदस्य का वेतन नियत किया जाएगा ।

यह दिनांक 01 जनवरी 2006 तथा इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के बीच नियुक्त कर्मचारियों के मामले में भी लागू होगा । ऐसे मामलों में जहां नियुक्ति तिथि पर विद्यमान वेतनमान/वेतनमानों में परिलब्धियों (अर्थात नियुक्ति तिथि पर विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन तथा उस पर देय मंहगाई वेतन एवं मंहगाई भत्ता) पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन तथा उस पर स्वीकार्य मंहगाई भत्ते के योग से अधिक हो वहां अन्तर की राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जिसे भविष्य में होने वाली वेतनवृद्धियों में समायोजित किया जायेगा ।

8. **पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की दर :—**

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन के योग का 3 प्रतिशत होगा, जिसे 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित किया जायेगा । वेतनवृद्धि की राशि वेतन बैंड के वर्तमान वेतन में जोड़ी जाएगी ।

टिप्पणी — इस संबंध में उदाहरण—2 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

9. **पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतनवृद्धि की तारीख :—**

वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई होगी । दिनांक 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 6 माह तथा इससे अधिक अवधि पूर्ण करने वाले शासकीय सेवक को वेतनवृद्धि की पात्रता होगी । पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात्, ऐसे शासकीय सेवक जिनको आगामी वेतन वृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2006 से 31 दिसंबर 2006 के बीच में पड़ती थी, प्रथम वेतनवृद्धि दिनांक 1 जुलाई 2006 को स्वीकृत की जावेगी ।

परन्तु ऐसे व्यक्तियों के मामलों में जो दिनांक 1 जनवरी 2006 के विद्यमान वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष से अधिक अवधि से वेतन आहरित कर रहे थे पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 1 जनवरी 2006 को मान्य की जावेगी उसके पश्चात् नियम 9 का प्रावधान लागू होगा ।

परन्तु उन मामलो में जब कोई शासकीय सेवक अपने वेतन बैंड के उच्चतम पर पहुँच जाता है, उसे उच्चतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् आगामी उच्चतम वेतन बैंड दिया जायेगा । उच्च वेतन बैंड में स्थापन के समय एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा । इसके पश्चात् वेतन बैड —2 के अधिकतम स्तर तक

पहुंचने तक वह निरंतर उच्चतर वेतन बैंड प्राप्त करता रहेगा । तदोपरान्त कोई और वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं की जावेगी ।

10. **पुनरीक्षित वेतन संरचना में 1 जनवरी 2006 के पश्चात् वेतन का नियतन :—**
जहां सेवा का कोई सदस्य विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित करना जारी रखता है और दिनांक 01 जनवरी 2006 के पश्चात्‌वर्ती किसी तारीख से पुनरीक्षित वेतन संरचना में लाया जाता है, वहां पुनरीक्षित वेतन संरचना में पश्चात्‌वर्ती तारीख से उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :—

(क) वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण उक्त पश्चात्‌वर्ती तारीख के विद्यमान मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार के प्राप्त अंक को 10 के अगामी गुणांक से पूर्णांकित कर किया जायेगा जो लागू वेतन बैंड में वेतन होगा। इसके अलावा विद्यमान वेतनमान का तस्थानी ग्रेड वेतन भी देय होगा ।

(ख) यदि पुनरीक्षित वेतन बैंड का न्यूनतम उपर्युक्त (क) के अनुसार परिगणित राशि से अधिक है तो वेतन, पुनरीक्षित वेतन बैंड के न्यूनतम पर नियत किया जायेगा।

11. **01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात् पदोन्नति पर वेतन निर्धारण –**
पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति के मामले में, वेतन निर्धारण हेतु वेतन बैंड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग के 3 प्रतिशत के समान एक वेतनवृद्धि की राशि परिगणित कर उसे 10 के आगामी गुणांक से पूर्णांकित किया जायेगा । इस राशि को वेतन बैंड में वर्तमान वेतन के साथ जोड़ा जायेगा । तदोपरान्त वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नति पद का तस्थानी ग्रेड वेतन स्वीकृत किया जायेगा । उन मामलों में जहां पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन बैंड में भी परिवर्तन होता है, समान प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा । किन्तु, यदि वेतनवृद्धि जोड़ने के पश्चात् वेतन बैंड में वेतन उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होता है, वेतन बैंड में वेतन ऐसे न्यूनतम के समान निर्धारित किया जायेगा ।

12. **वेतन के बकाया का भुगतान :—**
संबंधित अवधि के वेतन के बकाया का भुगतान निम्नानुसार तीन किस्तों में नगद में किया जायेगा :—

(क)	वर्ष 2009—10	—	जनवरी, 2006 से अक्टूबर, 2006 तक
(ख)	वर्ष 2010—11	—	नवम्बर, 2006 से अगस्त, 2007 तक
(ग)	वर्ष 2011—12	—	सितम्बर, 2007 से अगस्त, 2008 तक

स्पष्टीकरण :— इस नियम के प्रयोजन हेतु —

(क) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में बकाया वेतन का तात्पर्य निम्न के अंतर से है :—

(i) इन नियमो के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन एवं भत्ते, जिसकी संबंधित अवधि हेतु उसे पात्रता है, तथा

(ii) संबंधित अवधि में वेतन एवं भत्ते जिनकी उसे पात्रता होती (चाहे ऐसे वेतन एवं भत्तों का भुगतान प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं) यदि उसके वेतन का इस प्रकार पुनरीक्षण नहीं किया गया होता ।

(ख) **संबंधित अवधि** का तात्पर्य है दिनांक 01 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की अवधि ।

13. **शिथिल करने की शक्ति :—**
राज्य सरकार सेवा के सदस्यों या सेवा के सदस्यों के प्रवर्ग के मामलो में इन नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का प्रवर्तन ऐसी रीति से और ऐसी सीमा तक शिथिल या निलंबित कर सकेगी जैसा की उसे लोकहित में न्याय संगत और साम्यपूर्ण या आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा शिथिलीकरण या निलंबन, जो यथास्थिति सेवा के किसी सदस्य या सदस्यों के प्रवर्ग के लिए अलाभप्रद हो, प्रवर्तित नहीं किया जायेगा ।

14. **निर्वचन :—**
यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो तो वह राज्य सरकार के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवर्ती, उप सचिव.

अनुसूची– एक

(नियम 2 और 3 देखें)

विद्यमान वेतनमानों के लिये पुनरीक्षित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन

विद्यमान वेतनमान			पुनरीक्षित वेतन संरचना		
क्र.	पद / ग्रेड	विद्यमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन बैंड का नाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
1.	एस–1	2550–55–2660–60–3200	1 एस	4750–7440	1300
2.	एस–2	2610–60–3150–65–3540	1 एस	4750–7440	1400
3.	एस–3	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैंड–1	5200–20200	1800
4.	एस–4	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैंड–1	5200–20200	1900
5.	एस–4ए	3500–80–4700–100–5200	वेतन बैंड–1	5200–20200	2200
6.	एस–5	4000–100–6000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2400
7.	एस–6	4500–125–7000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
8.	एस–7	5000–150–8000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200

अनुसूची– दो
नियम 7 देखें

दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती से नियुक्ति पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारंभिक वेतन :–

वेतन बैंड– 1 एस (4750–7440)

1300	4750	6050
1400	4860	6260

वेतन बैंड–1 (5200–20200)

1800	5200	7000
1900	5680	7580
2200	6510	8710
2400	7440	9840
2800	8370	11170

वेतन बैंड–2 (9300–34800)

4200	9300	13500

अनुसूची – तीन

विकल्प का प्रारूप

(नियम 5 देखिये)

मैं .... एतद् द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरण का चयन करता/करती हूँ ।

या

मैं ....एतद् द्वारा अपने मूल/स्थानापन्न पद ....के विद्यमान वेतनमान रूपये ....को

x(क) मेरी आगामी वेतनवृद्धि की तारीख तक

या x (ख) मेरा वेतन रूपये .... तक बढ़ने वाली उत्तरवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक

या x (ग) मेरे द्वारा पद रिक्त किये जाने तक

या x (घ) विद्यमान वेतनमान (रूपये ....) में वेतन आहरित करना छोड़ने तक जारी रखने का चयन करता/करती हूँ ।

स्थान –

तारीख –

हस्ताक्षर......................................

नाम ....

पदनाम ....

कार्यालय जिसमें नियोजित है ....

....

x जो लागू न हो काट दीजिए

(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....(नाम) द्वारा प्रस्तुत विकल्प कार्यालय में दिनांक ....को प्राप्त हुआ ।

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

सेवा के सदस्यों के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन

उदाहरण –1

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण :–

1.	विद्यमान वेतनमान	4000–100–6000
2.	लागू वेतन बैंड	5200–20200 रूपये (वेतन बैंड–1)
3.	01 जनवरी, 2006 को विद्यमान मूल वेतन	4800 रूपये
4.	1.86 गुणांक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	8928 रूपये (8930 रूपये में पूर्णांकित)
5.	वेतन बैड में वेतन	8930 रूपये
6.	बंचिग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	8930 रूपये
7.	वेतन बैड में तस्थानी ग्रेड वेतन	2400 रूपये
8.	पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़)	11330 रूपये

उदाहरण –2

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि देने के बाद वेतन निर्धारण

1.	वेतन बैंड –1 में वेतन	5250
2.	ग्रेड वेतन	1800
3.	वेतन + ग्रेड वेतन का योग	7050
4.	वेतन वृद्धि की दर	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5.	वेतन वृद्धि की राशि	211.50 रूपये (220 रूपये पूर्णांकित)
6.	वेतन वृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	5250 + 220
7.	वेतन वृद्धि के बाद वेतन	5470
8.	लागू ग्रेड वेतन	1800

Raipur, the 18th May 2009

NOTIFICATION

No. 128 /F/R/IV/2009. —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title, commencement and scope –**

(1) These rules may be called The Chhattisgarh Work-charged and Contingency-paid Employees Revision of Pay Rules, 2009.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2006.

(3) These rules shall apply to all the members of Work-charged and Contingency-paid Employees Service, who are drawing their pay in existing scale.

2. **Definitions :-** In these rules unless the context otherwise requires-

(1) **"existing basic pay"** means pay drawn in the prescribed existing scale of pay , but does not include any other type of pay like 'special pay', etc.

(2) **"existing scale"** in relation to a member of service means the present scale applicable to the post held by the member of service as on the 1st day of January, 2006

(3) **"existing emoluments"** means and includes:-

(a) From 1st January 2006 to 31st March 2007-
(i) existing basic pay, and
(ii) dearness allowance appropriate to the basic pay.

(b) From 1st April 2007-
(i) existing basic pay,
(ii) dearness pay at the rate of 50% of basic pay, and
(iii) 24% dearness allowance on basic pay plus dearness pay.

(4) **"present scale"** in relation to any post /grade specified in column 2 of the Schedule-I means the scale of pay specified against that post in column 3 thereof.

(5) **"pay in the pay band"** means pay drawn in the running pay bands specified in Column 5 of the Schedule-I.

(6) **"grade pay"** is the fix amount corresponding to the pre-revised pay scales/posts as specified in the column-6 of schedule I.

(7) **"revised pay structure"** in relation to any post specified in column 2 of the Schedule-I means the pay band and grade pay specified against that post specified in column 5 and 6 thereof.

(8) **"basic pay"** in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed pay band plus the applicable grade pay but does not include any other type of pay like special pay, etc.

(9) **"revised emoluments"** means the pay in the pay band plus the grade pay of a member of the service in the revised pay structure.

(10) **"service"** means the Work-charged and Contingency-paid Employees Service.

(11) **"member of the service"** means a member of the Work-charged and Contingency-paid Employees Service, who is drawing pay in existing pay scale.

(12) **"schedule"** means a schedule annexed to these rules.

4. **Scale of pay of posts-** The pay band and grade pay of every post/grade specified in the Column 2 of the Schedule-I, in revised pay structure, shall be as specified against it in column 5&6 thereof.

5. **Drawal of pay in the revised structure-** A member of Work-charged and contingency-paid Service shall draw pay in revised pay structure applicable to the post to which he is appointed;

Provided that a member of the service may elect to continue to draw pay in the existing scale until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing scale or until he vacates his post or cease to draw pay in that scale;

Provided further that in cases where a member of the service has been placed in a higher pay scale between 1.1.2006 and the date of notification of these rules, on account of promotion, upgradation of pay scales etc., he may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion, upgradation, etc.

Explanation:-

(1) The option to retain the existing scale under the provisos to this rule shall be admissible only in respect of one existing scale.

(2) The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or after the 1st day of January, 2006, whether for the first time or by transfer from another post, he shall be allowed pay only in the revised pay structure.

5. **Exercise of Option -**

(1) The option under the provisos to rule 5 shall be exercised in writing in the form appended to the schedule-III so as to reach the authority mentioned in sub-rule (2) within three months of date of publication of these rules or where an existing scale has been revised by any order made subsequent to that date, within three months of the date of such order.

Provided that-

(i) in the case of a member of the service who is on the date of such publication, or as the case may be, on the date of such order on leave or deputation out of state, the said option shall be exercised in writing so as to reach the said authority within three months of his taking charge of his post under the state Government;

(ii) where a member of the service is under suspension on the 1st day of January,2006, the option may be exercised within three months of the date of his return to his duty if that date is later than the date prescribed in this sub-rule; and

(iii) those member of the service who have retired after 1st January, 2006, and before publication of these rules, shall be entitled to exercise their options under this rule.

(2) The option shall be intimated by the member of the service to the head of his office.

(3) If the intimation regarding option is not received within the time mentioned in sub-rule (1), the member of the service shall be deemed to have elected to be governed by the revised pay structure with effect from the 1st day of January, 2006.

(4) The option once exercised shall be final. Cutting or overwriting in the option shall not be accepted.

Note 1- Persons whose services were terminated on or after the 1st January, 2006 and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of discharge on the expiry of the sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge on disciplinary grounds, are entitled to the benefits of this rule.

Note 2- Persons who have died on or after the 1st day of January, 2006 and could not exercise the option within prescribed time limit are deemed to have opted for the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2006 or such later date as is found most beneficial by the concerning authority, if the revised pay structure is more favorable and his pay may be fixed accordingly.

6. **Fixation of initial pay in the revised pay structure –**

(1) The initial pay of a member of the service who elects, or is deemed to have elected under sub-rule (3) of rule 6 to be governed by the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2006, shall unless in any case the state Government by special order otherwise directs, be fixed in the following manner, namely:-

(i) the pay in the pay band will be determined by multiplying the existing basic pay as on 1st day of January, 2006 by a factor of 1.86 and rounding off the resultant figure to the next multiple of 10(.

(ii) if the minimum of the revised pay band is more than the amount arrived at as per (i) above, the pay shall be fixed at the minimum of the revised pay band ;

Provided that:-
Where, in the fixation of pay, the pay of member of the service drawing pay at two or more consecutive stages in an existing scale gets bunched, that is to say, gets fixed in the revised pay structure at the same stage in the pay band, then, for every two stages so bunched, benefit of one increment shall be given so as to avoid bunching of more than two stages in the revised running pay bands. For this purpose, increment will be calculated on the pay in the pay band. Grade pay would not be taken into account for the purpose of granting increment to alleviate bunching.

If by stepping up of pay as above, the pay of a member of the service gets fixed at a stage in the revised pay band which is higher than the stage in the revised pay band at which the pay of a member of the service who was drawing pay at the next higher stage or stages in the same existing scale is fixed, the pay of the later shall also be stepped up only to the extent by which it falls short of that of the former.

(iii) the pay in the pay band will be determined in the above manner. In addition to the pay in the pay band, grade pay corresponding to the existing scale will be payable.

Note 1- Illustration 1 on the above is provided in the explanatory memorandum to these rules.

Note 2- A member of the service who is on leave on the 1st day of January, 2006 and is entitled to leave salary shall become entitled to pay in the revised pay structure from 1.1.2006 or the date of option for the revised pay structure.

Note 3- A member of the service under suspension shall continue to draw subsistence allowance based on the existing scale of pay and his pay in the revised pay structure will be subject to the final order on the pending disciplinary proceedings.

Note 4- Where the 'existing emoluments' exceed the revised emoluments in the case of any member of the service, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

Note 5 – Where in the fixation of pay under sub-rule (1), the pay of a member of the service, who, in the existing scale was drawing immediately before the 1st day of January, 2006 more pay than another member of the service junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay band at a stage lower than that of such junior, his pay shall be stepped up to the same stage in the revised pay band as that of the junior.

Note 6- Where a member of the service is in receipt of personal pay on the 1st day of January, 2006, which together with his existing emoluments exceeds the revised emoluments, then, difference representing such excess shall be allowed to such member as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

Note 7- In cases where a senior member of the service is promoted to a higher post before the 1st day of January, 2006 draws less pay in the revised structure than his junior who is promoted to the higher post on or after the 1st day of January, 2006, pay in the pay band of the senior member should be stepped up to an amount equal to the pay in the pay band as fixed for his junior in that higher post. The stepping up should be done with effect from the date of promotion of the junior member of the service subject to the fulfillment of the following conditions, namely:-

(a) Both the junior and the senior members of the service should belonging to the same cadre and the posts in which they have been promoted should be identical in the same cadre.

(b) The pre revised scale of pay and the grade pay in revised pay structure of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay should be identical.

(c) The senior member of the service at the time of promotion should have been drawing equal or more pay than the junior.

(d) The anomaly should be directly as a result of the application of the provisions of the Fundamental Rule 22 or any other rule or order regulating pay fixation on such promotion in the revised pay structure.

Provided that if in the lower post, the junior member was drawing more pay in the pre-revised scale than the senior by virtue of any advance increments granted to him, the provision of this Note need not be invoked to step up the pay of the senior member.

7. Fixation of pay in the revised pay structure of employees appointed as fresh recruits on or after 1.1.2006 –

Schedule -II of these rules indicates the entry level pay in the pay band at which the pay of the direct recruits to a particular post carrying a specific grade will be fixed on or after 1.1.2006.

This will also be applied in the case of those recruited between 1.1.2006 and the date of issue of this Notification. In such cases, where the emoluments in the pre revised pay scale(s) [i.e., basic pay in the pre revised pay scale(s) plus Dearness Pay plus Dearness Allowance applicable on the date of joining] exceeds the sum of the pay fixed in the revised pay structure and the applicable dearness allowance thereon, the difference will be allowed as personal pay to be absorbed in the future increments in pay.

8. Rate of increment in the revised pay structure-

The rate of increment in the revised pay structure will be 3% of the sum of the pay in the pay band and grade pay applicable, which will be rounded off to the next multiple of 10. The amount of increment will be added to the existing pay in the pay band.

Note- Illustration 2 on the above is provided in the explanatory memorandum to these rules.

9. Date of next increment in the revised pay structure-

There will be a uniform date of annual increment, viz.1st July of every year. Employees completing six months or above in the revised pay structure as on 1st of July will be eligible to be granted the increment. The first increment after fixation of pay on 1.1.2006 in the revised pay structure will be granted on 1.7.2006 for those employees, for whom the date of next increment was between 1st July 2006 and 31st December, 2006.

Provided that in the case of persons who had been drawing maximum of the existing scale for more than a year as on the 1st day of January 2006, the next increment in the revised pay structure shall be allowed on the 1st day of January 2006. Thereafter the provision of Rule 9 would apply.

Provided that in cases where an employee reaches the maximum of his pay band, shall be placed in the next higher pay band after one year of reaching such maximum in his pay band. At the time of placement in the higher pay band, benefit of one increment will be provided. Thereafter, he will continue to move in the higher pay band till his pay reaches the maximum of the PB-2 pay band, after which no further increment will be granted.

10. **Fixation of pay in the revised pay structure subsequent to the 1st day of January 2006 –**

Where a Government servant continues to draw his pay in the existing scale and is brought over to the revised pay structure from a date later than the 1st day of January, 2006 his pay from the later date in the revised pay structure shall be fixed in the following manner:-

(i) pay in the pay band will be determined by multiplying the existing basic pay applicable on the later date by a factor of 1.86 and rounding off the resultant figure to the next multiple of 10. In addition to this, the grade pay corresponding to the pre-revised pay scale will be payable.

(ii) if the minimum of the revised pay band is more than the amount arrived at as per (i) above, the pay shall be fixed at the minimum of the revised pay band.

11. **Fixation of pay on promotion on or after 1.1.2006 –**

In the case of fixation of pay on promotion from one grade pay to another in the revised pay structure, one increment equal to 3% of the sum of the pay in the pay band and the existing grade pay will be computed and rounded off to the next multiple of 10. This will be added to the existing pay in the pay band. The grade pay corresponding to the promotion post will thereafter be granted in addition to this pay in the pay band. In cases where promotion involves change in the pay band also, the same methodology will be followed. However, if the pay in the pay band after adding the increment is less than the minimum of the higher pay band to which promotion is taking place, pay in the pay band will be stepped up to such minimum.

12. **Mode of payment of arrear of pay-** The arrear for the relevant period shall be paid in cash in three installments, in the following manner-

(i) Year 2009-10 - From January, 2006 to October, 2006
(ii) Year 2010-11 - From November, 2006 to August, 2007
(iii) Year 2011-12 - From September, 2007 to August, 2008

Explanation- For the purpose of this rule:

(a) **"arrear of pay"** in relation to a Government servant, means the difference between:

(i) the aggregate of the pay and allowances to which he is entitled on account of revision of his pay and allowances under these rules, for the relevant period; and

(ii) the aggregate of the pay and allowances to which he would have been entitled (whether such pay and allowances have been received or not)for that period had his pay and allowances not been so revised.

(b) **"relevant period"** means the period commencing on the 1st day of January, 2006and ending with the 31st August 2008.

13. **Power to relax-** The state Government may relax or suspend the operation of any of the provisions of these rules in the case of member of the service or category of member of the service in such a manner and to such extent as may appear to it, to be just and equitable or necessary or expedient in public interest:

Provided that such relaxation or suspension shall not operate to the disadvantage of a member of the service or category of member of the service, as the case may be.

14. **Interpretation-** If any question arises relating to interpretation of these rules; it shall be referred to Government in Finance Department, whose decision thereon shall be final.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. CHAKRABORTY, Deputy Secretary.

Schedule-I

(See Rule 2 and 3)

Revised Pay Bands and Grade Pays for existing Pay Scales

Existing Pay Scale			Revised Pay Structure		
S. No.	Post/ Grade	Existing Pay Scale	Name of the Revised Pay Band	Pay Band	Grade Pay
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	S-1	2550-55-2660-60-3200	1 S	4750-7440	1300
2	S-2	2610-60-3150-65-3540	1 S	4750-7440	1400
3	S-3	2750-70-3800-75-4400	Pay Band-1	5200-20200	1800
4	S-4	3050-75-3950-80-4590	Pay Band-1	5200-20200	1900
5	S-4A	3500-80-4700-100-5200	Pay Band-1	5200-20200	2200
6	S-5	4000-100-6000	Pay Band-1	5200-20200	2400
7	S-6	4500-125-7000	Pay Band-1	5200-20200	2800
8	S-7	5000-150-8000	Pay Band-2	9300-34800	4200

Schedule-II

(See Rule 7)

Entry pay in the revised pay structure for direct recruits appointed on or after 1st January, 2006

Grade pay	Pay in the pay band	Total
Pay Band 1 S (4750-7440)		
1300	4750	6050
1400	4860	6260
Pay Band 1 (5200-20200)		
1800	5200	7000
1900	5680	7580
2200	6510	8710
2400	7440	9840
2800	8370	11170
Pay Band 2 (9300-34800)		
4200	9300	13500

Schedule-III

Form of Option

(See Rule-5)

I-- hereby elect to draw my pay in the Revised pay structure with effect from 1st January, 2006

or

I -- hereby elect to continue on the existing scale of pay of Rs. ---------------------------- of my substantive/officiating Post of ----------------------------- until

* (a) The date of my next increment

or *(b) The date of subsequent increment raising my pay to Rs --------------------------------

or * (c) I vacate the post

or *(d) cease to draw pay in the existing scale of Rs. ------------------------

Station ------------------------
Date ---------------------------

Signature ----------------------------
Name --------------------------------
Designation ------------------------
Office in which employ‹ d ---------
----

* (strike off if inapplicable)

FOR OFFICE USE ONLY

Certified that the option submitted by Shri/Smt./Ku. ----- -- (name) is received in the office on ---------- --

Signature ------------------------------
·Designation --------------------------

Explanatory Memorandum for member of service

Illustration-1

Fixation of initial pay in revised pay structure

1.	Existing pay scale	4000-100-6000
2.	Applicable pay band	Rs. 5200-20200 (Pay band-1)
3.	Existing basic pay on 1st January, 2006	Rs. 4800
4.	Pay after multiplication by factor of 1.86	Rs. 8928 (rounded off to Rs. 8930)
5.	Pay in pay band	Rs. 8930
6.	Pay in the pay band after adding the benefit of bunching, if applicable	Rs. 8930
7.	Corresponding grade pay in Pay band	Rs. 2400
8.	Basic pay in revised pay structure (sum of pay in pay band and grade pay)	Rs. 11330

Illustration-2

Pay fixation after allowing increment in Revised pay structure

1.	Pay in pay band	Rs. 5250
2.	Grade pay	Rs. 1800
3.	Sum of pay and Grade pay	Rs. 7050
4.	Rate of increment	3 % of 3 above
5.	Amount of increment	Rs. 211.50 (rounded off to Rs. 220)
6.	Pay in pay band after increment	Rs. 5250 + 220
7.	Pay after increment	Rs. 5470
8.	Applicable Grade pay	Rs. 1800